बिहार सरकार
गृह विभाग

आदेश

बिहार अभियोजन सेवा के अभियोजन पदाधिकारी के चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यथाः–

अभियोजन पदाधिकारी के चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के तीन चरण होंगेः–

(1) प्रारंभिक परीक्षा :– प्रारंभिक परीक्षा के दो प्रश्न पत्र होंगे, जो निम्नांकित होंगे :–

क्र0 सं0	पत्र	विषय	पूर्णांक
1	प्रथम पत्र	सामान्य अध्ययन	100
2	द्वितीय पत्र	विधि	150

प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो बहुविकल्पों पर आधारित होगा, जिनमें से एक सही उत्तर होगा। प्रत्येक पत्र दो घंटे की अवधि का होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रारम्भिक परीक्षा महज जाँच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम मेधा सूची में नहीं जोड़ा जायेगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा और न्यूनतम योग्यता अंक आयोग द्वारा निर्धारित किए जाऐंगे।

इस परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा :–

(i) **प्रथम पत्र – सामान्य अध्ययन** – इस पत्र में सामान्य ज्ञान, (समसामयिक घटनाओं की जानकारी सहित), सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राज व्यवस्था तथा भूगोल के भी ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के भी दे सकते है।

(ii) **द्वितीय पत्र–विधि–** इस पत्र में भारतीय न्याय संहिता–2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023, सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 एवं भारतीय संविधान के मौलिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे।

(2) **मुख्य परीक्षा** :– मुख्य परीक्षा में निम्न पत्र होंगे:–

क्र0 सं0	पत्र	विषय	पूर्णांक
1	प्रथम पत्र	सामान्य अध्ययन	100
2	द्वितीय पत्र	हिन्दी भाषा	100
3	तृतीय पत्र	अंग्रेजी भाषा	100
4	चतुर्थ पत्र	भारतीय न्याय संहिता, 2023	150
5	पंचम् पत्र	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	150
6	षष्ठम् पत्र	(i) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	75
		(ii) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908	75
7	सप्तम् पत्र	भारतीय संवैधानिक विधि	150
8	अष्ठम् पत्र	अन्य विधि	150

जिनमें विषय से सम्बन्धित विवरणात्मक प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा:–

(i) **प्रथम पत्र – सामान्य अध्ययन** – इस पत्र में सामान्य ज्ञान, (समसामयिक घटनाओं की जानकारी सहित), सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राज व्यवस्था तथा भूगोल के भी ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के भी दे सकते हैं।

(ii) **द्वितीय पत्र – हिन्दी भाषा** – इस पत्र का स्तर वही होगा, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा में चौथे वर्ग से लगातार हिन्दी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अभिप्रेत हिन्दी का है। इस परीक्षा में उम्मीदवारों के सरल हिन्दी में अपने भावों को स्पष्टतः एवं शुद्ध–शुद्ध व्यक्त करने की क्षमता और परिचित विषयों पर हिन्दी की सहज बोध शक्ति की जाँच की जायेगी। इस पत्र के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा, जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जायेगा। इस पत्र के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेंगे।

(iii) **तृतीय पत्र – अंग्रेजी भाषा** – इस परीक्षा में उम्मीदवारों के सरल अंग्रेजी में अपने भावों को स्पष्टतः एवं शुद्ध–शुद्ध व्यक्त करने की क्षमता और परिचित विषयों पर अंग्रेजी की सहज बोध शक्ति की जाँच की जायेगी। इस पत्र के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा, जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जायेगा। इस पत्र के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेंगे।

(iv) **चतुर्थ पत्र – भारतीय न्याय संहिता, 2023**

(v) **पंचम् पत्र – भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023**

(vi) **षष्ठम् पत्र– (क) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023**

(ख) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

(vii) **सप्तम् पत्र – भारत की संवैधानिक विधि**

(viii) **अष्टम् पत्र –अन्य विधि**–इस पत्र में निम्नलिखित अधिनियमों से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे :–

(क) शस्त्र अधिनियम, 1959

(ख) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908

(ग) स्वापक औषधियाँ और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985)

(घ) सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम, 2000 का अध्याय–11 (The Information Technology Act, 2000, Chapter-11)

(ङ) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का अध्याय–VI और VIII (यथा संशोधित बिहार अधिनियम–8, 2018 एवं बिहार अधिनियम 10, 2020)

(च) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 एवं 2022

(छ) बिहार पुलिस एक्ट, 2007

(ज) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

(झ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

(ञ) पॉक्सो अधिनियम, 2012

टिप्पणी :– क्रमांक–(iv) से (viii) पर अंकित विषयों के प्रश्नों का स्तर वही होगा, जो पटना विश्वविद्यालय के विधि स्नातक परीक्षा के लिए निर्धारित है।

(3) **साक्षात्कार** :– साक्षात्कार हेतु 100 अंक निर्धारित होंगे। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक तथा रिक्तियों की संख्या के आधार पर आयोग साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित करेगा।

आयोग मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार किये गये मेधा सूची के अनुसार सफल अभ्यर्थियों की कोटिवार अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायेगा।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/

(सुधांशु कुमार चौबे)

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ0नि0 (01) 27/2018/स्था0................ दिनांक..............................

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ0नि0 (01) 27/2018/स्था0 2439 दिनांक 25/11/25

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/11/25

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।